अपील सूचना अधिकार संख्या 59/2016 अनवानी राधाकृष्ण टेकवाणी निवासी 13 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

12-06-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः-

1. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक रसद/738 दिनांक 08.02.2016 में वर्णित प्रवर्तन अधिकारी का नाम व पदस्थापन का स्थल, रिपोर्ट की प्रति, प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्व कार्यालय टिप्पड़िया व रिपोर्ट के बाद कार्यालय टिप्पड़िया प्रमाणित प्रति देवे।
2. जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कंमाक रसद/745 दिनांक 08.02.2016 में वर्णित प्रवर्तन अधिकारी का नाम व पदस्थापन का स्थान, रिपोर्ट की प्रति, प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट से पूर्व कार्यालय टिप्पणियां व रिपोर्ट के बाद कार्यालय टिप्पणिया प्रमाणित प्रति देवे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2762 दिनांक 18.04.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 09.03.16 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने रिकार्ड का निरीक्षण कर लिया है उसे निम्न सूचना उपलब्ध करवाई जावेः-

1. बिन्दु सं0 1 व 2 के कम में फाईलो पर अंकित कार्यालय टिप्पणीया कमांक 1 से 23 तक की प्रमाणित प्रति एवं राधाकृष्ण पुत्र लोकचंद वार्ड न0 1-बी श्रीगंगानगर की 21.04.15 की जांच रिपोर्ट व पर्यवेक्षक प्रपत्र विजेन्द्रपाल/संदीप गौड प्र0अ0 21.04.15 की प्रमाणित प्रति एवं सोनी ऑयल स्टोर श्रीगंगानगर की 21.04.15 की जांच रिपोर्ट व पर्यवेक्षक प्रपत्र विजेन्द्रपाल/संदीप गौड प्र0अ0 21.04.15 की प्रमाणित प्रति देवे।

जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में आगे प्रार्थना की गयी है कि उक्त आवेदन पत्र के बाद आवेदक को उनके कार्यालय के पत्रांक 627 दिनांक 31.03.16 के द्वारा निर्धारित कोपिंग फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया। आवेदक द्वारा दिनांक 07.04.16 को निर्धारित फीस जमा कराने पर वांछित सूचना दिनांक 07.04.2016 को समयावधि में उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपील निरस्त की जावे।

जिला रसद अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी के प्रा0 पत्र दिनांक 09.03.2016 की प्रति के अनुसार बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना के संबंध में उक्तानुसार सूचना चाही, जिसके लिए जिला रसद अधिकारी ने पत्र सं0 627 दिनांक 31.03.16 से अपीलार्थी को 2रूपये प्रति पेज की दर से पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के लिए लिखा गया है। सलंग्न नोट शीट प्रति अनुसार प्रार्थी द्वारा पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने पर दिनांक 07.04.16 को सूचना उपलब्ध करवाकर सूचना प्राप्ति के अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी प्राप्त किये गये है।

इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official